

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
(Phone No 0141-2227229, Email ID :- pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 01.07.2016

बैठक सूचना


निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में जिला बाडमेर में दिनांक 08.07.2016 को प्रातः 10:00 बजे जिला कलेक्टर कान्फेन्स हॉल, बाडमेर में बैठक आयोजित की गयी है। बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

बैठक में प्रतिभागी	एजेण्डा
माननीय सांसद बाडमेर, जिले के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर, जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त विकास अधिकारी।	जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

उक्त बैठक में राज्य स्तर से निम्न अधिकारी से निवेदन है कि कृपया बैठक में भाग लेने का श्रम करें :-


- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 3 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला प्रभारी बाडमेर।
- 4 आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 7 अतिरिक्त उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन प्रथम), पंचायती राज।
- 8 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू), ग्रामीण विकास।
- 9 संबंधित जिला प्रभारी।

जिला कलेक्टर द्वारा जनप्रतिनिधियों का बैठक में भाग लेने हेतु सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय एवं बैठक कार्यवाही विवरण जारी करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा।


1.7.16
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8. निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
9. निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
10. जिला कलक्टर, बाड़मेर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर।
12. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज विभाग।
13. जिला प्रभारी, मुख्यालय, बाड़मेर।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)
1.7.16